

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक:- 24/6/26

विषय:- सामान्य प्रशासन विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹ 2,83,41,197/- (दो करोड़ तिरासी लाख इकतालीस हजार एक सौ संतानवे रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओं द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अध्याचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल ₹ 2,83,41,197/- (दो करोड़ तिरासी लाख इकतालीस हजार एक सौ संतानवे रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	प्रमंडल का नाम	अध्याचना आई०डी० संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/ दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	भवन प्रमंडल, अरवल	31875	समाहरणालय परिसर अरवल में टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य	2824/ 15.02.24	₹ 15,12,381/- (पन्द्रह लाख बारह हजार तीन सौ इक्यासी रुपये)
2.	भवन प्रमंडल, खगडिया	31999	Construction of Combined Office Building (G+5) at Khagaria.	20590/ 19.12.24	₹ 2,66,13,459/- (दो करोड़ छियासठ लाख तेरह हजार चार सौ उनसठ रुपये)
3.	भवन प्रमंडल, खगडिया	32049	PCC work in Front of Sub-Division Office Khagaria District for the year 2025-26.	7817/ 02.05.25	₹ 2,15,357/- (दो लाख पन्द्रह हजार तीन सौ संतावन रुपये)
कुल योग:-					₹ 2,83,41,197/-

(दो करोड़ तिरासी लाख इकतालीस हजार एक सौ संतानवे रुपये)

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पंजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-01-कार्यालय भवन-लघु शीर्ष-051-निर्माण उपशीर्ष-0104-समाहरणालय एवं अन्य कार्यालय भवनों का निर्माण (सामान्य प्रशासन विभाग) विपत्र कोड-03-4059010510104 के विषयशीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0104.53.01-मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जाएगा।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।

4. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

जापांक:- 5840 (अ)

पटना, दिनांक:- 24/6/20

प्रतिलिपि:-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित जिला कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

जापांक:- 5840 (अ)

पटना, दिनांक:- 24/6/20

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख/संबंधित मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/निदेशक अनुश्रवण/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सी.एफ.एम.एस. एप्रूवर, भवन निर्माण विभाग एवं आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं सभी संबंधित को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।